13-12-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित जवाब ऐतराज पेश किया गया। शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर ~~अधिक~~ शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

16-12-19 वकील वादी द्वारा आदेश दिनांक 13-12-19 की पालना में डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क पेश किया शामिल पत्रावली किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(9)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 360/2019

1 कलवंत कुमार पुत्र श्री जोतराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) – – वादी

–:: बनाम ::–

1 जोतराम पुत्र श्री श्योकरण जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

2 सुभाषचन्द्र पुत्र श्री जोतराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

3 प्रदीपकुमार पुत्र श्री जोतराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

4 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 13-12-2019

वादी की और से श्री संजयपाल गोदारा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की और से श्री विरेन्द्र कुमार गुप्ता अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 16-12-2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 जोतराम पुत्र श्योकरण के नाम वाद में वर्णित चक 8 एस.एस.डब्ल्यू. व 9 एस.एस. डब्ल्यू की कुल भूमि 12.650 हैक्टर भूमि में वर्तमान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्ठी को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या कलवन्त पुत्र जोतराम को 2.620 हैक्टर प्रतिवादी संख्या जोतराम पुत्र श्योकरण को 2.277 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 सुभाष चन्द्र पुत्र जोतराम को 2.650 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 3 प्रदीप कुमार पुत्र जोतराम को 2.592 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

(क) वादी कलवंत कुमार पुत्र श्री जोतराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.) के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :– चक नम्बर 9 एस.एस. डब्ल्यू. पत्थर नम्बर 152/304 (72) किला नम्बर 16, 24, 25, पत्थर नम्बर 150/304 (74) किला नम्बर 1/2/.089, 2/2/.038 चक नम्बर 8 एस.एस.डब्ल्यू. पत्थर नम्बर 154/295 (125) किला नम्बर 1 से 5, पत्थर नम्बर 154/294 (118) 24/.216, 25/.253 कुल 2.620 हैक्टर।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 जोतराम पुत्र श्री श्योकरण जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.) के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :– चक नम्बर 9 एस. एस.डब्ल्यू. पत्थर नम्बर 152/304 (72) किला नम्बर 21 से 23, पत्थर नम्बर 151/304 (73) किला नम्बर 23 से 25 पत्थर नम्बर 150/304 (74) किला नम्बर 18 से 20 कुल 2.277 हैक्टर।

लगातार 2

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.01.01 17:05:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: